

## राजद्रोह कानून

### प्रलिस के लयल:

[राजद्रोह](#), [धारा 124A](#), [सर्वोच्च नयायालय](#), [IPC](#), [अनुच्छेद 19](#)

### मेन्स के लयल:

राजद्रोह कानून - महत्त्व और मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च नयायालय को बताया है कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुनः परीक्षा की प्रक्रिया" शुरू कर दी है और इस संबंध में परामर्श अपने "अंतिम चरण" में हैं।

- **मई 2022** में नयायालय ने एक अंतरिम आदेश में देश भर में धारा 124A के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों और नयायालयी कार्यवाही को रोकते हुए धारा 124A के उपयोग को निलंबित कर दिया था।

## राजद्रोह कानून:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय वधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले वधियों को ही केवल असतित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
    - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
  - धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश कर एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब उन्होंने अपराध से निपटने के लिये एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की थी।
    - वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
- **वर्तमान में राजद्रोह कानून:**
  - **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A:**
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।'
      - **वद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं।** हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
      - **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च नयायालय ने** दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- **दंड:**
  - राजद्रोह **गैर-जमानती अपराध** है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उमरकैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बनिा रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे नयायालय में पेश होना ज़रूरी है।

## राजद्रोह कानून का महत्त्व:

- **उचित प्रतिबंध**
  - भारत का संविधान अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    - हालाँकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिस्थितियों में इसे प्रतिबंधित कर सकती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
  - इन प्रतिबंधों को उचित माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित किया गया है।
- **एकता और अखंडता बनाए रखना:**
  - राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरुद्ध, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।
- **राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:**
  - यह चुनी हुई सरकार को हिसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है।
  - कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

## संबंधित मुद्दे:

- **औपनिवेशिक युग का अवशेष:**
  - औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
    - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दमिगजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
- **संविधान सभा का मत:**
  - संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी क्योंकि सदस्यों को लगा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देगा।
  - उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह कानून को विरोध करने के लोगों के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये एक हथियार में बदल दिया जा सकता है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:**
  - मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण भारत को एक निर्याचति निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

## देशद्रोह के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विगत निर्णय:

- वर्ष 1950 की शुरुआत में [\[1950\] 1 SCR 581](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है [\[1950\] 1 SCR 581](#) एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिये जैसे कि सुरक्षा को कमजोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।"
- इसके बाद दो उच्च न्यायालयों- [\[1951\] 1 SCR 101](#) (1951) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा [\[1959\] 1 SCR 124A](#) (1959) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने [\[1959\] 1 SCR 124A](#) जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिये [\[1959\] 1 SCR 124A](#) एवं प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- [\[1962\] 1 SCR 124A](#) (1962) मामले में देशद्रोह पर फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारजि कर दिया और [\[1962\] 1 SCR 124A](#) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमिति करने का प्रयास किया।

## हाल के विकास:

- **फरवरी 2021** में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को कथित रूप से ट्वीट करने एवं असत्यापित समाचार साझा करने हेतु उनके खिलाफ दर्ज कई राजद्रोह FIR से सुरक्षा कथित किया।
- **जून 2021** में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को **जबरदस्ती की कार्रवाई से बचाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने पर ज़ोर दिया।**
- **जुलाई 2021** में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजद्रोह कानून पर फरि से विचार करने की मांग की गई थी।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कानून जो 'सरकार के प्रति असंतोष' जैसे शब्दों की असपष्ट और असंवैधानिक परिभाषाओं के आधार पर अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है, वह अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध नहीं है।
- इस तरह का कानून अभिव्यक्ति पर एक **दुरुतशीतन प्रभाव उत्पन्न करता है**, जिसका अर्थ है कलियोग सरकार द्वारा दंडित किये जाने के डर से **स्वयं को सेंसर या सीमिति करेंगे अथवा अपनी राय व्यक्त करने से परहेज करेंगे।**

## आगे की राह

- न्यायालय का हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह प्रावधान को रद्द कर देता है, तो उसे केदार नाथ के फैसले को रद्द करना होगा एवं पहले के फैसलों को बरकरार रखना होगा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उदार थे।
  - यदि सरकार भाषा को कमजोर करके या इसे नरिस्त करके कानून की समीक्षा करने का नरिणय लेती है, तो प्रावधान को एक अलग रूप में फरि से बहाल कथिा जा सकता है।
- उच्च न्यायापालकिा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानकि प्रावधानों के प्रतमिजसिड्रेट और पुलसि को संवेदनशील बनाने हेतु अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहयि।
- भारत की कषेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता से संबंधति मुद्दों को शामिल करने हेतु राजद्रोह की परभाषा को संक्षपित कथिा जाना चाहयि।

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sedition-law-10>

